



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062026-273682  
CG-DL-E-20062026-273682

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 445]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 496(अ).— ओषधि नियम, 1945 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ), तारीख 28 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त शासकीय राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 जनवरी, 2026 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6, धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि (छठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम, 1945 में, नियम 3क में, उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(9) निम्नलिखित पशु चिकित्सा टीकों (वायरल और बैक्टीरियल) के परीक्षण के संबंध में प्रयोगशाला के कार्य चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे और उक्त पशु चिकित्सा टीकों के संबंध में निदेशक के कार्य उक्त संस्थान के निदेशक द्वारा किए जाएंगे:-

क्रम सं.	पशु चिकित्सा टीके का नाम
1.	एवियन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
2.	एवियन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
3.	एवियन इन्फेक्शियस लैरींगोट्रेकाइटिस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
4.	एवियन स्पाइरोकीटोसिस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
5.	ब्लैकक्वार्टर वैक्सीन भा.भे.
6.	ब्रुसेला एबॉर्टस (स्ट्रेन 19) वैक्सीन, जीवित भा.भे.
7.	कैनाइन एडेनोवायरस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
8.	कैनाइन कोरोनावायरस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
9.	कैनाइन डिस्टेंपर वैक्सीन, जीवित भा.भे.
10.	कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
11.	कैनाइन पैराइन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
12.	कैनाइन पार्वोवायरस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
13.	कैनाइन पार्वोवायरस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
14.	क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन, जीवित भा.भे.

15.	मल्टीकंपोनेंट क्लोस्ट्रीडियम वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
16.	क्लोस्ट्रीडियम नोवी (टाइप बी) पशु चिकित्सा उपयोग के लिए वैक्सीन भा.भे.
17.	क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
18.	डक पास्चुरेला वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
19.	डक प्लेग वैक्सीन, जीवित भा.भे.
20.	एग ड्रॉप सिंड्रोम 76 वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
21.	एंटरोटॉक्सिमिया वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
22.	फाउल हैजा वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
23.	फाउल पॉक्स वैक्सीन, जीवित भा.भे.
24.	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
25.	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया वैक्सीन, एलम-उपचारित भा.भे.
26.	इन्क्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस (आईबीएच) वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
27.	इन्फेक्शियस एवियन एन्सेफेलोमाइलाइटिस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
28.	इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
29.	इन्फेक्शियस चिकन एनीमिया वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
30.	इन्फेक्शियस चिकन एनीमिया वैक्सीन, जीवित भा.भे.
31.	इन्फेक्शियस कोराइजा वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
32.	मारेक रोग वैक्सीन, जीवित भा.भे.
33.	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स वैक्सीन, जीवित भा.भे.
34.	रानीखेत रोग वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
35.	रानीखेत रोग वैक्सीन, जीवित (लेंटोजेनिक स्ट्रेन) भा.भे.

36.	रानीखेत रोग वैक्सीन, जीवित (मेसोजेनिक स्ट्रेन) भा.भे.
37.	रियो वायरस वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
38.	रियो वायरस वैक्सीन, जीवित भा.भे.
39.	साल्मोनेला एबॉर्ट्स इक्वी वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
40.	साल्मोनेला वैक्सीन, निष्क्रिय भा.भे.
41.	टेटनस पशु चिकित्सा वैक्सीन भा.भे.
42.	थाइलेरियोसिस वैक्सीन, जीवित भा.भे."।

[फा. सं. एक्स.11014/13/2025 -डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पण— औषधि नियम, 1945, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477 (अ), तारीख 9 जून, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2026

**G.S.R. 496(E).**— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945 was published as required under sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 65(E), dated the 28<sup>th</sup> January, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 31<sup>st</sup> January, 2026;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

- (1) These rules may be called the Drugs (Sixth Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Drugs Rules, 1945, in rule 3A, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :—  
“(9) The functions of the Laboratory in respect of testing of the following Veterinary Vaccines (Viral and Bacterial) shall be carried out at the Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, Baghpat, Uttar Pradesh and the functions of the Director in respect of the said veterinary vaccines shall be exercised by the Director of the said Institute:-

S. No.	Name of Veterinary Vaccine
1.	Avian Infectious Bronchitis Vaccine, Inactivated I.P.
2.	Avian Infectious Bronchitis Vaccine, Live I.P.
3.	Avian Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live I.P.
4.	Avian Spirochaetosis Vaccine, Inactivated I.P.
5.	Blackquarter Vaccine I.P.
6.	Brucella Abortus (Strain 19) Vaccine, Live I.P.
7.	Canine Adenovirus Vaccine, Live I.P.
8.	Canine Coronavirus Vaccine, Inactivated I.P.
9.	Canine Distemper Vaccine, Live I.P.
10.	Canine Leptospirosis Vaccine, Inactivated I.P.
11.	Canine Parainfluenza Virus Vaccine, Live I.P.
12.	Canine Parvovirus Vaccine, Inactivated I.P.
13.	Canine Parvovirus Vaccine, Live I.P.
14.	Classical Swine Fever Vaccine, Live I.P.
15.	Multicomponent Clostridium Vaccine, Inactivated I.P.
16.	Clostridium Novyi (Type B) Vaccine for Veterinary Use I.P.
17.	Clostridium Septicum Vaccine, Inactivated I.P.
18.	Duck Pasteurella Vaccine, Inactivated I.P.
19.	Duck Plague Vaccine, Live I.P.
20.	Egg Drop Syndrome 76 Vaccine, Inactivated I.P.
21.	Enterotoxaemia Vaccine, Inactivated I.P.
22.	Fowl Cholera Vaccine, Inactivated I.P.
23.	Fowl Pox Vaccine, Live I.P.
24.	Haemorrhagic Septicaemia Vaccine, Inactivated I.P.
25.	Haemorrhagic Septicaemia Vaccine, Alum-treated I.P.
26.	Inclusion Body Hepatitis (IBH) Vaccine, Inactivated I.P.
27.	Infectious Avian Encephalomyelitis Vaccine, Live I.P.
28.	Infectious Canine Hepatitis Vaccine, Inactivated I.P.
29.	Infectious Chicken Anaemia Vaccine, Inactivated I.P.
30.	Infectious Chicken Anaemia Vaccine, Live I.P.
31.	Infectious Coryza Vaccine, Inactivated I.P.
32.	Marek's Disease Vaccine, Live I.P.
33.	Peste Des Petits Ruminants Vaccine, Live I.P.

34.	Ranikhet Disease Vaccine, Inactivated I.P.
35.	Ranikhet Disease Vaccine, Live (Lentogenic Strain) I.P.
36.	Ranikhet Disease Vaccine, Live (Mesogenic Strain) I.P.
37.	Reo Virus Vaccine, Inactivated I.P.
38.	Reo Virus Vaccine, Live I.P.
39.	Salmonella Abortus Equi Vaccine, Inactivated I.P.
40.	Salmonella Vaccine, Inactivated I.P.
41.	Tetanus Veterinary Vaccine I.P.
42.	Theileriosis Vaccine, Live I.P.”.

[F. No. X.11014/13/2025-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

**Note** – The Drugs Rules, 1945 were published in the Gazette of India *vide* notification No. F.28-10/45-H (1), dated 21<sup>st</sup> December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 477(E), dated 9th June, 2026.